



लेखक श्री क. श्रीधर प्रसाद श्रीधरनाथ
 लेखक/कार्यकर्ता अधिनियम 1908 की धारा
 106 (1) प्रो (3)
 राज्य: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
 (प्रविष्ट स्टाम्प एक्ट) 1899 की धारा 4
 । का । क संख्या 23 - F.A. with file permission.
 अधिक ब्याज न भुगत
 सिद्धे (या स्टाम्प आंक से विमुक्त
 है) स्टाम्प शुल्क पर निर्दिष्ट नहीं है।
 Case No. 400/2012-13
 order dt. 15.4.13

08.5.13
 8/5/13



श्री श्रीधर प्रसाद
 2/5/13

§ 18 लेखक/कार्यकर्ता:- श्री बनीफस खलखो पिता स्व० स्तानिसलास
 खलखो, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- छिजरी
 पुरनापानी, थाना- सिद्धेगा, जिला- सिद्धेगा ।

... .. बिभ्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:-

216 | 2013

पुरनापानी - कुशीक बिभ्रेता
 पत्रा सं. 216/2013 रो. 18/13
 ग्राम - छिजरी थाना पुरनापानी
 ज. मोरारा
 पुरनापानी - सिद्धेगा
 8.5.2013



--2--

{2} लेख्यधारिणी:- श्रीमति शशि प्रभा लकड़ा पति श्री अरविन्द बाड़ा, जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- सरकूटोली, स्टकूटाड़, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. कृतिका ।

समथ-पत्र संख्या:-

217 / 2013

{3} लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

{4} मूल्य:- मोबलिंग एक लाख पाँच हजार रुपये अके 1,05,000/- रुपये होता है ।

{5} सम्मति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 152 प्लॉट नं0 2170, रकबा 0.70 एकड़ में से 0.07 एकड़ {सात डिसिमिल} शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- मधुरा बा: का घेरा एवं इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- कच्चा रास्ता ।

मालगुजारी 2 पैसा {दो पैसा} अलावे सेस सलाना ।

जवाक. जीजी जीसेठ शकवकी
 फिला- एलाभ-धुस खलसे
 अंधे- सामटोली खिजरी
 अला- सिमडेगा
 जिला- सिमडेगा
 त्त. 8.5.13

श्रीमति शशि प्रभा लकड़ा
 2/2/13



--4--

४४४ चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 400/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 15.04.2013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 397 दिनांक 15.04.2013 है।

४५४ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

४६४ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है।

सिद्धांत 20/4/22



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री. प्रभा लकड़ा

2/2/13



श्री. प्रभा लकड़ा

2/2/13

प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता के काफ़े हाथ के पांचों अंगुलियों का दाप मेरे सफ़दा लिखा गया।

Jammala N.S.

Ash 8.5.2013.

मैं लेख्यधारणीय यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री. प्रभा लकड़ा

8-5-13



प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता के काफ़े हाथ के पांचों अंगुलियों का दाप मेरे सफ़दा लिखा गया।

Jammala N.S.

Ash

8.5.2013



f.



-- 5 --

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Jaymangla N.S.*

प्रारूपकर्ता *Adm.*
तारीख:- 8.5.2013.

मो० मकसुद
2/4/13

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 648 शब्द टंकित हैं जो छापडन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
8.5.2013
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।